रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1142] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2011/ज्येष्ठ 20, 1933
No. 1142] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2011/JYAISTHA 20, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2011

का.आ. 1352(अ).—जबकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) [इसमें इसके पश्चात् (आरटीई) अधिनियम के रूप में उल्लिखित] की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (इसमें इसके पश्चात् एनसीटीई के नाम से उल्लिखित) ने 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 215 द्वारा कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

2. जबकि आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 2 में प्रावधान है कि जहां राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं या आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है, यह अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;

3. जबकि आरटीई अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 8 नवम्बर, 2010 को आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत छूट देने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

4. जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 1 फरवरी, 2011 के अपने पत्र द्वारा 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंडों में छूट देने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

5. जबकि केन्द्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत छूट देने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है;

6. अतः आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कक्षा I-VIII से संबंधित दिनांक 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 215 में एनसीटीई द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अध्यापक योग्यता मानदंडों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को छूट देती है, जो निम्नानुसार है :—

(क) कक्षा I-V में अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए);

(ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी.एड.)।

नोट 1.—उपर्युक्त छूट 31 मार्च, 2014 तक वैध है और निम्नलिखित शर्तें पूरी हों, नामतः :

(i) एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार एनसीटीई द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा (इसके पश्चात् टीईटी के रूप में उल्लिखित) तथा प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण की है;

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि वे एनसीटीई की उपरोल्लिखित अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंडों के समकक्ष हों;

(iii) नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो एनसीटीई की दिनांक 25 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता रखते हैं तथा उसके पश्चात् उन पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेंगे जिनके समक्ष इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रदान की गई छूट वाली योग्यता रखते हैं;

(iv) अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का राज्य से बाहर सहित व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए;

(v) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि जो अध्यापक एनसीटीई की उपरोल्लिखित अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और व्यवसायोन्मुख योग्यता नहीं रखते उन्हें वे आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर उसे प्राप्त करना होगा;

(vi) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक समिति सुनिश्चित करेगी कि जिन अध्यापकों को, छूट दी गई योग्यता मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है वे नियुक्ति के वर्ष से दो वर्षों की अवधि के अदंर एनसीटीई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें;

(vii) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार दी जाएगी तथा राज्य सरकार को धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी।

2. एनसीटीई के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी टीईटी दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के उप-पैरा (iii) के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति 31 मार्च, 2014 तक राज्य में की जाने वाली अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित टीईटी में बैठने के लिए भी पात्र होंगे :

(i) कक्षा I-V के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सैकेंडरी (या समकक्ष);

(ii) कक्षा VI-VIII के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक ।

[फा. सं. 1-17/2010-ईई-4]

अनिता कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2011

S.O. 1352(E).—Whereas the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as NCTE), in pursuance of sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the RTE Act), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII vide notification No. 215 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on the 25th August, 2010;

2. And whereas, sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of Section 23 of the RTE Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

3. And whereas, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 35 of the RTE Act, the Central Government laid down the guidelines on the 8th November, 2010 for the State Governments for submitting proposal to the Central Government for grant of relaxation under sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act;

4. And whereas, the State Government of West Bengal vide its letter dated the 1st February, 2011 submitted a proposal to the Central Government for grant of relaxation of the minimum qualification norms laid down by the NCTE in its notification published in the Gazette of India on the 25th August, 2010;

5. And whereas, the Central Government examined and considered the proposal of the State Government of West Bengal for grant of relaxation under sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act;

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the RTE Act, the Central Government hereby grants relaxation to the State Government of West Bengal in respect of the minimum teacher qualification norms notified by the NCTE as published in the Gazette of India vide No. 215 dated the 25th August, 2010, in so far as they relate to classes I-VIII, as under :—

(a) 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I-V; and

(b) 1-Year Bachelors in Education (B. Ed) for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

Note: 1. The aforementioned relaxation shall be valid up to 31st March, 2014 and shall be subject to the following conditions, namely:—

(i) as specified in the aforementioned Notification of the NCTE, the State Government of West Bengal shall conduct the Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as TET) in accordance with the Guidelines dated the 11th February, 2011 issued by the NCTE and only those persons who pass the TET can be considered for appointment as a teacher in elementary classes;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the Recruitment Rules to correspond with the minimum qualification norms laid down by the afore mentioned notification of the NCTE;

(iii) in the matter of appointment, the State Government shall give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the NCTE's notification dated the 25th August, 2010, and only thereafter, consider the eligible candidates with the relaxed qualifications specified in this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers should be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers not possessing the minimum academic and professional qualifications laid down in the aforementioned notification of the NCTE shall acquire the same within the time limit specified under sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the NCTE notification within a period of two years from the year of appointment;

(vii) the relaxation specified in this notification shall be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 shall be granted to the State Government.

2. In accordance with sub-para (iii) of para 5 of the TET Guidelines issued by the NCTE vide its letter dated the 11th February, 2011, the following persons shall also be eligible for appearing in the TET conducted by the State Government of West Bengal in respect of teacher appointments made in the State up to the 31st March, 2014:

(i) for classes I to V - Senior Secondary (or equivalent) with at least 50% marks;

(ii) for classes VI to VIII - Graduation with at least 50% marks.

[F. No. 1-17/2010-EE-4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2011

का.आ. 1353(अ).—जबकि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) [इसमें इसके पश्चात् (आरटीई) अधिनियम के रूप में उल्लिखित] की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (इसमें इसके पश्चात् एनसीटीई के नाम से उल्लिखित) ने 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 215 द्वारा कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

2. जबकि आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 2 में प्रावधान है कि जहां राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं पर्याप्त नहीं है या आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है, यह अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;

3. जबकि आरटीई अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 8 नवम्बर, 2010 को आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत छूट देने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं ।

4. जबकि बिहार सरकार ने दिनांक 1 मार्च, 2011 के अपने पत्र द्वारा 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंडों में छूट देने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

5. जबकि केन्द्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत छूट देने हेतु बिहार सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है।

6. अत: आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कक्षा I-VIII से संबंधित दिनांक 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 215 में एनसीटीई द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अध्यापक योग्यता मानदंडों के लिए बिहार सरकार को छूट देती है, जो निम्नानुसार है:-

(क) कक्षा I-V में अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए)।

(ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी.एड.)।

नोट 1.—उपर्युक्त छूट 31 मार्च, 2015 तक वैध है और निम्नलिखित शर्तें पूरी हों, नामत:

(i) एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार बिहार सरकार एनसीटीई द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा (इसके पश्चात् टीईटी के रूप में उल्लिखित) तथा प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापक के

रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण की है;

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि वे एनसीटीई की उपरोल्लिखित अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंडों के समकक्ष हों;

(iii) नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो एनसीटीई की दिनांक 25 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता रखते हैं तथा उसके पश्चात् उन पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेंगे जिनके समक्ष इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रदान की गई छूट वाली योग्यता रखते हैं;

(iv) अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का राज्य से बाहर सहित व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए;

(v) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि जो अध्यापक एनसीटीई की उपरोल्लिखित अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और व्यवसायोन्मुख योग्यता नहीं रखते उन्हें वे आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर उसे प्राप्त करना होगा;

(vi) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक समिति सुनिश्चित करेगी कि जिन अध्यापकों को, छूट दी गई योग्यता मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है वे नियुक्ति के वर्ष से दो वर्षों की अवधि के अंदर एनसीटीई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें;

(vii) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार दी जाएगी तथा राज्य सरकार को धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

2. एनसीटीई के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी टीईटी दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के उप-पैरा (iii) के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति 31 मार्च, 2014 तक राज्य में की जाने वाली अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में बिहार सरकार द्वारा आयोजित टीईटी में बैठने के लिए भी पात्र होंगे ।

(i) कक्षा I-V के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सैकेंडरी (या समकक्ष);

(ii) कक्षा VI-VIII कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक ।

[फा. सं. 1-17/2010-ईई-4]

अनिता कौल, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2011

S.O. 1353(E).— Whereas the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as NCTE), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (hereinafter referred to as the RTE Act), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII vide notification No. 215 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on the 25th August, 2010;

2. And whereas, sub-section (2) of section 23 of the RTE Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of section 23 of the RTE Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

3. And whereas, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 35 of the RTE Act, the Central Government laid down the Guidelines on the 8th November, 2010 for the State Governments for submitting proposal to the Central Government for grant of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

4. And whereas, the State Government of Bihar vide its letter dated the 1st March, 2011 submitted a proposal to the Central Government for grant of relaxation of the minimum qualification norms laid down by the NCTE in its notification published in the Gazette of India on the 25th August, 2010;

5. And whereas, the Central Government examined and considered the proposal of the State Government of Bihar for grant of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the RTE Act, the Central Government hereby grants relaxation to the State Government of Bihar in respect of the minimum teacher qualification norms notified by the NCTE as published in the Gazette of India vide No. 215 dated the 25th August, 2010, in so far as they relate to classes I-VIII, as under,-

(a) 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I-V; and

(b) 1-Year Bachelors in Education (B. Ed) for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

Note: 1. The aforementioned relaxation shall be valid upto the 31st March, 2015 and shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) as specified in the aforementioned Notification of the NCTE, the State Government of Bihar shall conduct the Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as TET) in accordance with the Guidelines dated the 11th February, 2011 issued by the NCTE and only those persons who pass the TET can be considered for appointment as a teacher in elementary classes;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the Recruitment Rules to correspond with the minimum qualification norms laid down by the aforementioned notification of the NCTE;

(iii) in the matter of appointment, the State Government shall give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the NCTE's notification dated the 25th August, 2010, and only thereafter, consider the eligible candidates with the relaxed qualifications specified in this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers should be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers not possessing the minimum academic and professional qualifications laid down in the aforementioned notification of the NCTE shall acquire the same within the time limit specified under sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the NCTE notification within a period of two years from the year of appointment;

(vii) the relaxation specified in this notification shall be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 shall be granted to the State Government.

2. In accordance with sub-para (iii) of para 5 of the TET Guidelines issued by the NCTE vide its letter dated the 11th February, 2011, the following persons shall also be eligible for appearing in the TET conducted by the State Government of Bihar in respect of teacher appointments made in the State up to the 31st March, 2015:

(a) for classes I to V - Senior Secondary (or equivalent) with at least 50% marks;

(b) for classes VI to VIII - Graduation with at least 50% marks.

[F. No. 1-17/2010-EE-4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.

2162 GI/11-2